



बड़ोदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

प्रधान कार्यालय: बुद्ध बिहार व्यावसायिक योजना,
तारामंडल, गोरखपुर- 273016

क्षेत्रीय कार्यालय: गौरा बारिक, अमहट, लखनऊ रोड, सुल्तानपुर- 228001

सार्वजनिक बिक्री
नीलामी सूचना/
नीलामी तिथि 03.05.2023
(अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4)

(सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (नियमों, 2002 के नियम 6(2) और / या

नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13 (2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ोदा यू पी 0 बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तर्जा कर्जदार (रैं) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रैं) / गारंटीदाता (ओं) बंधककर्ता (ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 (4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / सम्पत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रैं) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियों को प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित पडी है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ोदा यू पी 0 बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहां है, जैसा है जो है" और "जो है वही है" आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रैं) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं / कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को 02.05.2023 को या उससे पहले, बड़ोदा यू पी 0 बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय: गौरा बारिक, अमहट, लखनऊ रोड, सुल्तानपुर में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निविदा 03.05.2023 को खोली जायेगी।

क्र० सं०	बकायेदार/जमानतदार का नाम, पता व खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि/ अधिग्रहण तिथि	बकाया धनराशि (रु०)	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/
शाखा : रजवाड़े रामपुर खाता सं०-51600600000441					
1.	ऋणकर्ता:- श्रीमती पूनम तिवारी पत्नी श्री रमेश तिवारी, पता:- ग्राम सरायमंगा, पोस्ट- बरुआलतारी, जिला- सुल्तानपुर, जमानतकर्ता:-1.श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री रामखेलवान, आवासीय पता- ग्राम: अहिरोला पोस्ट- बरुआलतारी, जिला- सुल्तानपुर, 2. श्री हीरा लाल पुत्र श्री राम सुभर, आवासीय पता- ग्राम: अहिरोला पोस्ट- बरुआलतारी, जिला- सुल्तानपुर, 3. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री लालता प्रसाद आवासीय पता- ग्राम: अहिरोला पोस्ट- बरुआलतारी, जिला- सुल्तानपुर, 4. श्री रमेश तिवारी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण आवासीय पता- ग्राम: सरायमंगा पोस्ट- बरुआलतारी, जिला- सुल्तानपुर,	बंधक रखी गयी भूमि का विवरण: मूल बिक्री विलेख संख्या 2022 दिनांक 29.05.2015, कुल क्षेत्रफल 179.83 वर्गमीटर जो ग्राम सराय मंगा परगना- चन्दा तहसील- लंभुआ, जिला- सुल्तानपुर में स्थित है मालिक- श्री रमेश तिवारी उर्फ नरेंद्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण के नाम पर है चौहद्दी:- पूर्व- नाला वधू बाग श्री नरेंद्र कुमार उर्फ रमेश तिवारी का, पश्चिम:श्री जगदीश नारायण तिवारी का घर उत्तर: रोड गोपीनाथपुर से किन्दीपुर, दक्षिण: भूमि श्री अशोक तिवारी, वधू रास्ता।	मांग सूचना की तिथि 08.07.2016 अधिग्रहण सूचना की तिथि 31.07.2017	₹ 9,10,622/- को + ब्याज 29.02.2016 29.02.2016 तक	₹ 4,42,000/- अग्रिम धनराशि 44,200/-
शाखा : सुल्तानपुर खाता सं०- 51030600000916					
2.	ऋणकर्ता:- 1. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व० श्री लाल जी पटवा 2. श्री राजेश कुमार पुत्र स्व० श्री लाल जी पटवा पता:- मकान संख्या 2263/4, नवीपुर शास्त्री नगर, सुल्तानपुर जमानतकर्ता:-1. श्री विजय कौशल पुत्र श्री वासुदेव पता:- गड़हा खुर्द, भरजपुर, सुल्तानपुर 2. श्री अमरलाल पुत्र श्री रूपचंद मकान नं० 1509, शास्त्री नगर, सुल्तानपुर	बंधक भूमि का विवरण: प्लॉट संख्या 153/2, पुराना मकान नं० 2256/ 1, नया मकान नं० 2263/4, मूल बिक्री विलेख संख्या 5030 दिनांक 25.06.2015 कुल क्षेत्रफल- 1059वर्गफुट जो मोहल्ला नबीपुर (शास्त्री नगर) परगना- बीरनपुर, तहसील- सदर जिला- सुल्तानपुर में स्थित है मालिक- श्री स्व० लाल जी पटवा पुत्र ओमकार नाथ पटवा के नाम पर है चौहद्दी:- बिक्री विलेख की संख्या- पूर्व- श्रीमती उर्मिला सिंह का प्लॉट, पश्चिम: श्री लाल बहादुर का प्लॉट, उत्तर: हाता क्रेता, दक्षिण: रास्ता	मांग सूचना की तिथि 19.03.2018 अधिग्रहण सूचना की तिथि 17.07.2018	₹ 7,09,541/- को + ब्याज 16.03.2018 30.06.2017 तक	₹ 12,86,000/- अग्रिम धनराशि 1,28,600/-
शाखा : सुल्तानपुर खाता सं०- 51030600000168					
3.	ऋणकर्ता:- मेसर्स न्यू टुपटाट महल, प्रो०- श्री अयाज अहमद पुत्र श्री नासिर खान पता:- हिला मार्केट, गन्दा नाला रोड, तहसील व जिला- सुल्तानपुर उ० प्र० जमानतकर्ता:-1. श्रीमती महरुन निशा पत्नी श्री नासिर खान पता- कस्बा सुल्तानपुर, परगना- बरोसा, तहसील- सदर जिला- सुल्तानपुर 2. श्री लाल मोहम्मद पुत्र श्री नासिर खान पता- कस्बा के एन आई परगना- बरोसा, तहसील- सदर, जिला- सुल्तानपुर 3. श्री मोहम्मद अनिस खान पुत्र बगील खान पता-मकान संख्या-192, दरियापुर (आजाद नगर) तहसील- सदर, जिला- सुल्तानपुर	बंधक भूमि का विवरण: मूल बिक्री विलेख संख्या 1176 दिनांक- 04.02.1978 कुल क्षेत्रफल 0.086 हेक्टेयर, जो ग्राम- कस्बा सुल्तानपुर परगना- बरोसा, तहसील- सदर, जिला- सुल्तानपुर में स्थित है मालिक- श्रीमती महरुन निशा पत्नी श्री नासिर खान के नाम पर है चौहद्दी:- पूर्व- रोड 12 फुट, पश्चिम: गली के बाद वी/ओ केसरवानी, उत्तर: वी/ओ श्रीमती अख्तारूल निशा, दक्षिण: वी/ओ श्री महमूद खान	मांग सूचना की तिथि 19.03.2018 अधिग्रहण सूचना की तिथि 17.07.2018	₹ 5,34,536/- को + ब्याज 03.01.2018 31.08.2017 तक	₹ 1,08,38,000/- अग्रिम धनराशि 10,83,800/-
शाखा : हनुमानगंज खाता सं०- 51070500000658					
4.	ऋणकर्ता:- मेसर्स काजल आटो मोबाइल प्रो०- श्री सुरेश चन्द मिश्रा व सुरेश चन्द मिश्रा पुत्र श्री दिवाकर मिश्रा पता:- ग्राम व पोस्ट- हनुमानगंज, जिला- सुल्तानपुर, जमानतकर्ता:-1. नि.जी पाण्डेय पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद पाण्डेय आवासीय पता:- ग्राम व पोस्ट- पखोली, जिला- सुल्तानपुर 2. श्री कमलाकर पाण्डेय पुत्र श्री देवता दी पाण्डेय, आवासीय पता:- ग्राम व पोस्ट- पखोली, जिला- सुल्तानपुर 3. श्रीमती ममता मिश्रा पत्नी श्री सुरेश चन्द मिश्रा आवासीय पता:- ग्राम व पोस्ट- हनुमानगंज, जिला- सुल्तानपुर	बंधक रखी गयी भूमि का विवरण: मूल बिक्री विलेख संख्या 676 दिनांक 02.04.2005, चाक संख्या 97/5 कुल क्षेत्रफल 80 वर्गफुट, जो ग्राम- हनुमानगंज, परगना- मीरनपुर, तहसील- लंभुआ, जिला- सुल्तानपुर में स्थित है मालिक- श्रीमती ममता मिश्रा के नाम पर है चौहद्दी:- पूर्व- श्री राम केवल का मकान, पश्चिम-श्रीमती ममता मिश्रा का घर, उत्तर-श्री छोटालाल वर्मा का प्लॉट, दक्षिण- सुल्तानपुर लंभुआ सड़क।	मांग सूचना की तिथि 08.07.2016 अधिग्रहण सूचना की तिथि 31.07.2017	₹ 6,05,980/- को + ब्याज 31.05.2016 31.05.2016 तक	₹ 5,31,000/- अग्रिम धनराशि 53,100/-

बिक्री के नियम एवं शर्तों: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में सुल्तानपुर में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ोदा यू पी. के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में उरसी दिन बोली रकम (ईएमडी शामिल रहेगा) का 25% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जप्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली, सर्वोच्च बोली को रवीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/ देनदारियों/ भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदाह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टैम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं का एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकायों का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। हालांकि कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि ये सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपराह्न 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख / निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानी <https://www.barodaupbank.com/sarfaesinotice.php>

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों/ गारंटीदाताओं/ कानूनी वारिसों/ बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकायों का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज प्रभारों एवं व्यय के साथ उन्हें वसूल किया जाएगा।

दिनांक:- 27.03.2023 स्थान:- सुल्तानपुर प्राधिकृत अधिकारी, बड़ोदा यू पी बैंक